

-: आदेश:-

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक: राम/भू0अ0/परीक्षा/प-279/2017/388-420 दिनांक: 10.01.2019 के क्रम में, राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम-4 के अन्तर्गत, सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2015 से चयनित होकर इस जिले को आवंटित निम्न अभ्यर्थियों को पटवारी पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाती हैं।

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम पटवारी मय पिता का नाम	जन्म दिनांक
1	167661	श्वेता कुमावत/रामदयाल कुमावत	20.10.1991
2	204902	अंकिता/केवलराम	20.09.1991
3	165439	अंजु कुमारी/महेन्द्र सिंह	24.10.1995
4	143574	ममता वर्मा/ओमप्रकाश वर्मा	25.01.1991
5	110669	सरोज/दरिया सिंह	28.08.1992
6	137516	श्री नगेन्द्र सिंह/भगवान सिंह	01.04.1996
7	117446	श्री विवेक/लखनसिंह	08.07.1996
8	130706	श्री युवराज सिंहशेखावत/दिलीप सिंह शेखावत	25.08.1991
9	145106	श्री चन्द्रवीर सिंह पुरावत/अभय सिंह पुरावत	02.09.1990
10	187749	श्री राहुल कुमार शर्मा/राजेन्द्र कुमार शर्मा	02.12.1995
11	144466	श्री रणवीर सिंह/अमर सिंह	12.05.1980
12	165209	श्री बृजेश कुमार/दुलीचन्द	18.10.1997
13	176545	श्री कंचन दयाल/हरीसिंह	12.10.1994
14	167430	शान्ति/हीराराम	07.03.1991
15	186589	श्री राकेश कुमार/श्रीचन्द	20.08.1996
16	163838	श्री अनिल कुमार/फूलचन्द	01.05.1989
17	142239	श्री सुनिल चौधरी/बुधाराम	05.07.1996
18	125014	श्री मूलचन्द/सीताराम	10.08.1994
19	192874	श्री भैरुसिंह/लीलाराम	10.07.1993
20	162680	श्री ज्ञानचन्द जांगीड़/त्रिलोक चन्द जांगीड़	13.01.1996
21	134025	श्री करण कुमार निर्वाण/देवकुमार निर्वाण	13.02.1995
22	151290	श्री घनश्याम/प्रकाश चन्द्र	10.04.1987
23	170414	श्री अमरदीप/शुभकरण	25.06.1978
24	137017	श्री कैलाश चन्द जाट/जयराम जाट	09.02.1983
25	145831	श्री प्रकाश चन्द जाट/रंगलाल जाट	23.07.1976
26	102368	श्री प्रताप राम/किशनाराम	01.01.1979
27	167558	श्री सुरेन्द्र सिंह/भगवानसिंह	27.10.1976
28	166970	श्री वजीर खान कायमखानी/मेहबूबखान कायमखानी	01.07.1974
29	194674	श्री रतनाराम छाबा/भवरा राम छाबा	11.07.1978
30	178027	श्री श्रवण कुमार/जगदीश प्रसाद	10.04.1991
31	126947	श्री जितेन्द्र कुमार सिंघल/सुरेश कुमार सिंघल	22.11.1992
32	164605	श्री दशरथ मल तंवर/छोटूलाल तंवर	15.06.1991
33	185408	श्री मनीष कुमार/रमेश चन्द	10.07.1996
34	184563	श्री रामप्रसाद मीना/श्रीपाल मीना	03.12.1996
35	214567	श्री लोकेश कुमार मीना/सोहन लाल मीना	03.11.1990
36	128123	निर्मला तारन/मनीराम	10.08.1976

उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती हैं-

1. नियुक्ति आदेश प्रसारित होने के उपरान्त नियुक्त पटवारी (प्रोबेशन ट्रेनी) को तत्काल भू-अभिलेख अनुभाग जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
2. उक्त कार्मिकों को परिवीक्षाकाल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रु. 14600/- मासिक संदत्त किया जायेगा एवं परिवीक्षा की कालावधि में कोई वेतनवृद्धि, विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात् समय-समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अधीन शासित होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश, परिपत्र लागू होंगे।
4. उक्त प्रशिक्षु पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 06 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
5. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करते समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे।
6. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक:-F.7(1) (कार्मिक) क-2/2001 दिनांक-20.06.2001 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-F.13(3) FD/(rules) पेंशन/8/01 दिनांक-04.10.2001 के अनुसार दिनांक-01.06.2002 को या इसके पश्चात् किसी भी समय इनके दो या दो से अधिक सन्तान होने पर इन नियमों के अधीन कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में उपस्थिति के समय रु. 10/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वर्तमान संतानों की संख्या एवं जन्म दिनांक अंकित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
7. कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प.8 (1) कार्मिक (क-2) 2002 दिनांक-09.06.2003 के अनुसार उक्त नियुक्ति पर अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-F.1(4) FD/(rules)/2017 जयपुर दिनांक-30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार एन.पी.एस. की कटौति की जायेगी।
8. वित्त अनुभाग की अधिसूचना क्रमांक-F.12 (6) FD/(rules)/2005 जयपुर दिनांक-13.03.2006 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कार्मिक दो वर्ष (Two Year) की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे तथा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जायेगी।
9. कार्मिक की नियुक्ति से परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य बीमा (SI) की राशि की कटौती नहीं की जायेगी।
10. परिवीक्षाकाल के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में 15 (Fifteen) दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
11. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-F-6(5) FD/(rules) 2004 दिनांक-27.07.2004 के अनुसार कार्मिक पर मेडिकलेम बीमा आवरण योजना लागू होगी।
12. पटवारी के पद पर अन्तिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनमकंवर

बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

13. उक्त नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र (बॉण्ड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होंगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई धन राशी राज्य सरकार को लौटानी होगी।

-54-
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

क्रमांक-सम/ 64319-64400
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक: 14.01.2019

1. निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर।
3. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग, भीलवाड़ा।
5. कोषाधिकारी भीलवाड़ा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आज ही उपलब्ध करावें।
7. प्रधानाचार्य, सर्वउद्देश्यीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
8. ए.सी.पी., सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेश को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. संबंधित प्रोबेशनर ट्रेनी पटवारी.....।
10. निजी पंजिका
11. रक्षित पत्रावली।

2/5/19
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा